

# वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड सरकार



## आवश्यक सूचना ।

माह फरवरी 2016 के लिए स्वीकृत कर का भुगतान ससमय करने वाले व्यवसायियों को धन्यवाद!

वैसे कर दाता जिनके द्वारा माह फरवरी, 2016 का स्वीकृत कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है वे अविलम्ब स्वीकृत कर का भुगतान कर सूद एवं अन्य के बोझ से बचें।

विगत वर्षों की भाँति सभी व्यवसायी कृपया मार्च, 2016 के आंकलित स्वीकृत कर एवं अग्रिम कर 2016-17 का भुगतान अग्रिम रूप में 25 मार्च, 2016 तक आवश्यक कर दें एवं राज्य के विकास में सहयोग दें।

पूर्व के निर्धारित कर/स्वीकृत कर/शास्ति आदि के बकाया का भुगतान दिनांक 25.03.2016 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

अंतिम दिनों की भीड़ से बचें एवं 25 मार्च, 2016 तक स्वीकृत कर, निर्धारित कर, सभी बकाये एवं अग्रिम कर 2016-17 का भुगतान करें।

**ई-सर्विसेज का सही उपयोग है : ई-रिटर्न/ई-भुगतान**

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची।

[www.jharkhandcomtax.gov.in](http://www.jharkhandcomtax.gov.in) |

विभागीय हेल्पडेस्क संख्या (IVRS)– 0651-6600500(8 AM to 8 PM)